न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रार्थना पत्र संख्या - 19/2018

1- रामपाल] पुत्रान रामचन्द्र जाति ब्राह्मण
2- मूलचन्द] निवासी - ग्राम भानपुरकलां तहसील
3- प्रभुनारायण] जमवारामगढ़ (जयपुर)

....प्रार्थीगण

बनाम

1- प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुरकलां तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)
2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़ जिला (जयपुर)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 136 भू-राजस्व
अधिनियम

निर्णय दिनांक 02/11/2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम भानपुरकलां तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0- 587/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त में स्थित चली आ रही है। जिसके पूर्व ख0नं0 925/1 मी0 व 925/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा है। प्रार्थीगण के नये ख0नं 587/2 दर्ज रिकार्ड है। जिसकी

P.T.O.

पूर्व दिशा में ख०न० 584 स्थित है।
जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुरकलां
को अलाट होने के कारण बाद में वर्तमान
में विद्यालय के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज
चला आ रहा है।

वर्तमान नक्शा ट्रेस जो भू-राजस्व विभाग
द्वारा तैयार किया गया है। इस नक्शे में
प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०न० 587/2
रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा को मैन भानपुरकलां
रोड के पीछे दर्शित कर, राजकीय उच्च
माध्यमिक विद्यालय भानपुरकलां के नाम दर्ज
ख०न० 584 को पूर्व से पश्चिम साइड में
दर्शित कर दिया गया है। अर्थात पूर्व नक्शा
ट्रेस की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया गया।
जबकि प्रार्थीगण की पूर्व (पुराने) नक्शा ट्रेस
में मुताबिक मुख्य भानपुर रोड से छोड़ जाने
वाली रोड पर ख०न० 587/2 रकबा 1 बीघा
12 बिस्वा आयताकार आकार में स्थित थी।
जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त रोड पर पुख्ता
दुकानें उत्तर देखती हुई व दुकानें के पीछे
रहिश्ग साइड में पूर्व में देखता हुआ
एक पुख्ता मकान प्रार्थीगण के पूर्वज स्व०
रामचन्द्र शर्मा बनाया गया है। इसीलिये
प्रार्थीगण ख०न० 587/2 को दुरुस्त करवाते
हुऐ उसकी रेखाओं को दुरुस्त करवाने
का अधिकारी है।

मामला अति आवश्यक प्रकृति का है।
अगर प्रार्थीगण को धारा 80(2) C.P.C
का दो माह का नोटिस दिया जायेगा तो
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश करने का मकसद
ही फोत हो जायेगा। प्रार्थना पत्र आवश्यक
प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस ही
यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

राजस्व विभाग द्वारा प्रार्थीगण के
पूर्वज स्व० रामचन्द्र शर्मा को जारी पासबुक
संवत 2008 से 2027 तक की है में संलग्न नक्शा
ट्रेस में स्पष्ट कर रखा है कि ख०न० 587/2

P.T.O →

में प्रार्थीगण की भूमि मुख्य रोड़ से लगती हुई थी।

अतः प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित मद सं० 1 लगायत 10 में अंकित तथ्यों को ताईद करते हुए अनुतोष चाहा कि संलग्न नजरी को मध्य नजर रखते हुए खसरा नम्बरान के त्रुटिपूर्ण सीमा रेखाओं के दुरस्त करने के आदेश देते हुए राजस्व नक्शों में खसरा नम्बर 584 के पश्चिम दिशा में सीवाडोल प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 587/2 की सीमा रेखाओं को पूर्व नक्शे मुताबिक प्रार्थीगण के ख०नं० 587/2 को भानपुरकलां से ठण्ड रोड से लगता पूर्व नक्शे मुताबिक व कब्जा काश्त के अनुसार दुरस्त करने हेतु निवेदन किया। एवं ख०नं० 584 को भी पूर्व नक्शे मुताबिक व कब्जा काश्त के अनुसार सीमा रेखाओं का अंकन दुरस्त किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की जारी की गई। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से श्री रामजीलाल मीणा कनिष्ठ लिपिक रा०उ० माध्यमिक विद्यालय भानपुरकलां उपस्थित हुए तथा दिनांक 30/7/18 को विद्यालय के पत्रांक 362 दिनांक 28/7/18 प्रस्तुत किया जिसमें प्रभारी अधिकारी नियुक्त होने पर जवाब पेश करने हेतु लिखा गया। दिनांक 9/8/18 को रा०उ०मा० विद्यालय भानपुरकलां की ओर से प्रधानाचार्य द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसमें बिन्दु 1,2 स्वीकार किया बाकी बिन्दुओं को प्रार्थीगण सिद्ध करने हेतु लिखा गया। प्रधानाचार्य रा०उ०मा० विद्यालय भानपुरकलां के पत्रांक 371 दिनांक 10/8/18 के द्वारा निदेशक बीकानेर से कोई वकील महोदय की नियुक्ति का आदेश नहीं आया है जवाब देने हेतु आगामी तारीख देने का कष्ट करें ताकि अभिभाषक द्वारा बहस की जा सके।

P.T.O →

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 30/7/18 को अप्रार्थी सं० 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। जिसमें अंकित किया कि बिन्दु सं०-1 मुताबिक पटवारी रिपोर्ट व रिकार्ड अनुसार सही है। ग्राम भानपुरकलां के आराजी ख०नं० 587/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा रामपाल, मूलचन्द, प्रभुनारायण पि० रामचन्द्र जाति बागड़ा ब्राह्मण के नाम रिकार्ड दर्ज है। बिन्दु सं० 2 आंशिक स्वीकार है वर्तमान नक्शानुसार ख०नं० 587/2 के उत्तरी दिशा में ख०नं० 584 का क्षेत्र आ रहा है। पुराने नक्शे से हाल नक्शे में मिलान सम्भव नहीं है। क्योंकि हाल नक्शा अप्रमाणित है। व अस्पष्ट है। पुराने नक्शे की छाया प्रति से संवत अंकित नहीं है।
बिन्दु सं०- 3 से 7 को प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करें।
बिन्दु सं० 8 के सम्बन्ध में संलग्न पास बुक की प्रति जिसमें ख०नं० 587/2 के उत्तरी दिशा में सड़क दर्शायी गई है। जो कि हमारे द्वारा जारी की गई है। संवत 2008 से 2027 तक की है वर्तमान हाल उपलब्ध नक्शों में ख०नं० 587/2 सड़क से लगता नहीं है। सड़क का ख०नं० 583 है जो सरकारी खाते में दर्ज है। ख०नं० 587/2 के उत्तरी दिशा में ख०नं० 584 का क्षेत्र आ रहा है। काबिज प्रकार से ख०नं० 587/2 का रकबा बरारी किया जिसमें 18 बिस्वा का उक्त खसरा नम्बर में आ रहा है। बल्कि पास बुक में उक्त ख०नं०- का रकबा 40 बिस्वा आ रहा है। पूर्व नक्शे में सड़क दर्शित नहीं है। हाल नक्शे में सड़क दर्शित है पूर्व नक्शा जारी होने के बाद व हाल नक्शे से पहले पास बुक तैयार की गई है। बल्कि जमाबन्दी में ख०नं० 587/2 का रकबा 32 बिस्वा है।

वकील प्रार्थीगण की बहस व रा० उ० मा० विद्यालय भानपुरकलां की ओर से कनिष्ठ लिपिक श्री रामजीलाल मीणा को बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों

P.T.O. →

ह०/-
उपखण्ड अधिकारी

को दोहराते हुए कहा कि यद्यपि भूमि का राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि को भानपुर रोड के पीछे दर्शित कर रा०उ० मा० विद्यालय भानपुरकलां के नाम खसरा 504 को पूर्व से पश्चिम साईड में दर्शित कर दिया गया है और पूर्व नक्शा ट्रेस व वर्तमान नक्शा की सीमा रेखा को परिवर्तन कर दिया गया। जबकि पूर्व नक्शा के अनुसार भूमि रोड से लगता आयताकार आकार में स्थित थी। इसलिये पूर्व नक्शा के मुताबिक रकबा बराबर कर नक्शा को दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी सं०1 ने दुरुस्त किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की। तथा पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराया।

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर राजस्व विभाग द्वारा हाल नक्शा में पूर्व नक्शा के अनुसार नक्शा नहीं बनाया है तथा सीमा रेखाओं में भी परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act को स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भानपुरकलां तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में संलग्न नजरी नक्शे को मद्देनजर रखते हुए खसरा नम्बरान के त्रुटिपूर्ण सीमा रेखाओं के अंकन को दुरुस्त एवं राजस्व नक्शे में ख०न० 504 के पश्चिम में सीवायचक प्रार्थीगण के ख०न० 509/2 की रेखा सीमाओं को पूर्व नक्शे के मुताबिक भानपुरकलां से [illegible] रोड से लगता पूर्व नक्शे के मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार एवं ख०न० 504 को भी पूर्व नक्शा मुताबिक व कब्जा काश्त के अनुसार सीमा रेखाओं का अंकन को दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार जमवारामगढ़ तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।